

2012-2013

लेखाओं का वार्षिक विवरण

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केन्द्रीय), लखनऊ, शाखा झारखंड, राँची.
महालेखाकार कार्यालय का मुख्य भवन, राँची

संख्या: ओ.ऐ.डी.-सी/एस.ए.आर.-भा.प्र.सं.राँ/2012-13- 143 दिनांक: 8/08/2014

सेवा में,

निदेशक,
भारतीय प्रबंध संस्थान राँची,
सूचना भवन, ऑड्रे हाउस परिसर,
मेयर्स रोड, राँची-834008.

विषय:- भारतीय प्रबंधन संस्थान राँची के वर्ष 2012-13 के खातों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र।

महाशय,

मैं वर्ष 2012-13 के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान राँची (भ.प्र.सं.राँ) की लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा के प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न कर रहा हूँ।

2 दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।

3 लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखे जाने से पूर्व इस पर भारतीय प्रबंध संस्थान राँची के शासी निकाय द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत विचार कर अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाना चाहिए।

4 (प) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा समेत लेखा परीक्षा प्रमाण एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अपनाने संबंधी शासी निकाय के संकल्प (पप) इसे संसद में प्रस्तुत किये जाने की तिथि तथा (पपप) संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति यथासमय हमारे अभिलेख एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली को आगे प्रेषण के लिए भेजी जाय।

5 कृपया संलग्नको के साथ इस पत्र की पावती भेजी जाये।

भवदीय

संलग्नक: यथोक्त।

के. जे. शर्मा
05.8.14
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ

भारतीय प्रबंध संस्थान राँची के वर्ष 31 मार्च 2013 के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने भारतीय प्रबंध संस्थान राँची (भ.प्र.सं.राँ) के 31 मार्च 2013 तक के तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खातों का लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य,शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुभाग 20(1) के अन्तर्गत किया । यह लेखा परीक्षा 2014-15 तक की अवधि के लिये सौंपी गई है। यह वित्तीय अभियुक्तियाँ संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रचलन पद्धति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। वित्तीय लेन देन पर विधि, नियम, एवं विनियम (अधिकारिक एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता सह निष्पादन पहलुओं आदि की लेखा परीक्षा अभियुक्तियाँ, यदि कोई हैं, निरीक्षण प्रतिवेदन/भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की गई हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखाओं की लेखापरीक्षा की हैं। इन मानकों में अपेक्षित है कि हमने योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा का निष्पादन समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया ताकि यह "वित्तीय विवरण गलत विवरणों से मुक्त हो । लेखा परीक्षा में नमूने के आधार पर जाँच करना, रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त किए गये लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समस्त प्रस्तुतीकरण का मुल्यांकन भी शामिल हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया कराती हैं।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (प) हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - (पप) तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा, जिन्हें इस प्रतिवेदन में लिया गया है उन्हें वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य संरूप में तैयार किया गया है।
 - (पपप) हमारी राय में समितियों का निबन्धन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत संगठनों के ज्ञापन के खंड 3 (अपपप एवं पग) के साथ संस्थान के नियम 18 के तहत आवश्यक लेखा बही

एवं अन्य सम्बन्धित रिकॉर्ड अपेक्षित है, जैसा कि हमारे निरीक्षण से प्रतीत होता है, भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची द्वारा उचित अवस्था में रखे गए हैं।

(पअ) हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि—

अ. तुलन पत्र

अ1. देयता

अ1.1 चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची-3)—रु०. 749.19 लाख

अ.1.1.1 संस्थान के पास 01.04.2012 को रु.630.97 लाख की राशि पूंजी अनुदान के रूप में शेष थी। संस्थान ने वर्ष 2012-13 के दौरान रु.887.04 लाख का अनुदान पूंजी धन शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त किया। लेकिन संस्थान ने वर्ष 2012-13 के दौरान केवल रु.499.87 लाख खर्च किया और इस प्रकार रु.387.17 लाख की शेष राशि, प्रारंभिक शेष राशि रु.630.97 लाख के साथ "देयता" के अन्तर्गत शीर्ष 'मंत्रालय को देय अनुदान' के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, जो कि संस्थान के द्वारा नहीं दिखाया गया। परिणामस्वरूप, 'देयता' में रु.1018.14 लाख की कमी आई और साथ ही साथ पूंजी अनुदान उतनी ही राशि से बढ़ गई।

अ.1.1.2 संस्थान ने दिनांक 13.03.2013 को जर्नल प्रविष्टि के द्वारा जे.एस.टी.सी.डी.सी. को डेबिट और ट्राईबल सबप्लान को रु.81.70 लाख से एवं सेवाकर को 10.10 लाख से क्रेडिट कर के, वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम (जे.एस.टी.सी.डी.सी.) से रु.91.80 लाख की राशि परामर्श शुल्क के रूप में माँग की। जे.एस.टी.सी.डी.सी. के साथ सहमति ज्ञापन दिनांक 26.07.2013 को निष्पादित किया गया और इसलिये देयता में इसका प्रावधान वर्ष 2013-14 में होना चाहिए था।

यह लेखांकन प्रक्रिया सही नहीं थी क्योंकि दिनांक 31.03.2013 को संस्थान के पास कोई भुगतान करने की बाध्यता या पैसा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। फलस्वरूप, 'देयता' और 'सम्पत्तियाँ' रु.91.80 लाख से बढ़ गया।

अ.2 सम्पत्तियाँ

अ.2.1 अचल सम्पत्तियाँ और मुल्य-हास (अनुसूची 4अ)— रु.357.33 लाख

झारखंड सरकार ने संस्थान को सितम्बर 2011 में 76.74 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित किया था। इस तथ्य को वार्षिक लेखा या लेखा टिप्पणी में नहीं दिखाया गया।

अ.2.2 पूँजीगत कार्य में प्रगति (अनुसूची 4ब)— रु.532.33 लाख

अ.2.2.1 कार्य में प्रगति के साथ पूर्ण कार्य की रकम रुपये 38.46 लाख भी शामिल थी। परिणामस्वरूप, भवन शीर्ष के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति कम हो गया तथा पूँजीगत कार्य में प्रगति बढ़ गया।

अ.2.2.2 झारखंड सरकार ने संस्थान को 30 कमरे अस्थायी छात्रावास के रूप में उपयोग करने हेतु, बिना किसी अनुबंध के आबन्धित किया (अप्रैल 2010)। यद्यपि, राज्य सरकार ने संस्थान से छात्रावास खाली करने का आग्रह किया (अप्रैल 2012), फिर भी संस्थान ने जून 2012 में ₹.18.49 लाख का कार्य कराने की मंजूरी दी जो दिसम्बर 2012 में ₹.17.98 लाख की लागत से पूर्ण हुआ। संस्थान ने सितम्बर 2012 में छात्रावास खाली कर दिया।

संस्थान ने ₹.17.98 लाख को आय और व्यय खाते में घाटे के रूप में लेने के बजाय इसे 'कार्य में प्रगति' शीर्ष में दिखाया। परिणामस्वरूप, 'पूँजीगत कार्य में प्रगति के अन्तर्गत "सम्पत्तियाँ" मद में अधिक और आय एवं व्यय खाते में आय उतनी ही राशि अधिक हो गया।

अ.2.2.3 उपर्युक्त राशि में ₹.157.49 लाख की राशि, झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये नगड़ी के विवादित भूमि पर चाहरदीवारी के निर्माण में खर्च किया गया, शामिल है। जनवरी 2012 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को ₹ 170.81 लाख अग्रिम राशि के रूप में कार्य करने हेतु दी गयी। भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों की वजह से कार्य को जुलाई 2012 में परित्यक्त कर दिया गया। राज्य सरकार ने संस्थान को दूसरे स्थान पर स्थायी परिसर के लिये वैकल्पिक भूमि प्रदान की (जुलाई 2013)।

यद्यपि, ग्रामीणों ने चहारदीवारी को पूरी तरह नष्ट कर दिया और राज्य सरकार ने अन्य जगह भूमि प्रदान की। फिर भी संस्थान ने ₹.157.49 लाख को कार्य में प्रगति के अन्तर्गत दिखाया। इस तथ्य को वार्षिक लेखा या लेखा टिप्पणी में नहीं दिखाया गया।

अ.2.3 निधि का निवेश (अनुसूची 5)–₹.2648.54 लाख

संस्थान ने उपार्जित ब्याज रूपये 41.58 लाख को "निधि का निवेश" शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिये था। जबकि यह राशि "चालू सम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम" शीर्ष के अन्तर्गत "उपार्जित ब्याज" शीर्ष में दिखाया जाना चाहिये था। परिणामस्वरूप, "निधि का निवेश" ₹.41.58 लाख से बढ़ गया और "चालू सम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम" में उतनी ही राशि की कमी आई।

अ.2.4 चालू सम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम (अनुसूची 6)–₹.1026.50 लाख

संस्थान ने ₹.27.94 लाख की राशि को "पूर्व भुगतान व्यय" शीर्ष में 31.03.2013 को बिना वास्तविक भुगतान के दिखाया साथ ही चालू देयता में भी दर्ज किया जबकि इसका वास्तविक भुगतान अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 में किया गया। विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹. लाखमें)

वाउचर संख्या एवं दिनांक	नाम	सदस्यता अवधि	पूर्व भुगतान व्यय की राशि	भुगतान की वास्तविक तिथि
जे.वी./673/ 12-13/31.03. 2013	हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पब्लिशिंग	दिसम्बर 2012 से मई 2013	1.29	29.04.2013
टी.आइ./384/ 12-13/31.03. 2013	फ्रस्ट एवं सुलिवान (इंडिया) पी. लिमिटेड	15.03.2013 से 14.03.2014	6.11	30.04.2013
जे. वी./672/ 12-13/31.03.	एल्सेवियर बी.वी.	01.01.2013 से 31.12.2013	13.61	29.04.2013

2013				
जे.वी. /671/12-13/3 1.03.2013	एमरल्डग्रुप पब्लिशिंग लिमिटेड	01.03.2013 से 28.02.2014	6.77	29.04.2013
		कुल	27.78	

परिणामस्वरूप, "चालू देयता" और "चालू सम्पत्तियाँ" रु.27.78 लाख से बढ़ गया।

ब. आय और व्यय

ब.1 सहायता अनुदान/ आर्थिक सहायता (अनुसूची 8) – रु.1527.98 लाख

संस्थान ने वर्ष 2012-13 में रु. 18.97 करोड़ की अनुदान (राजस्व) राशि प्राप्त किया। इस राशि को आय और व्यय खाते में लेने के बजाय संस्थान ने रु.3.71 करोड़ अनियमित रूप से पिछले वर्ष 2011-12 के आय की कमी की प्रतिपूर्ति के रूप में समायोजित किया और रु.15.26 करोड़ को आय और व्यय खाते में लिया। इसके परिणामस्वरूप आधिक्य आय पर व्यय की 3.71 करोड़ की कमी हुई।

पिछले वर्ष 2011-12 के आय और व्यय खाते की समीक्षा करने से यह प्रकट हुआ की वर्ष 2011-12 में आय की कोई कमी नहीं थी और वास्तव में उस वर्ष में रु. 13.85 लाख की अतिरिक्त राशि थी। आय की कमी का कारण रु. 473.68 लाख को समग्र निधि में स्थानांतरण करना था।

स. प्राप्तियाँ और भुगतान

संस्थान ने शुरुआत से ही पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बताये जाने के बावजूद भी प्राप्तियाँ और भुगतान खाता नहीं बनाया।

द. लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणी

एकसमान प्रारूप के अनुसार कोई भी आय जो की कुल कारोबार का 1 प्रतिशत या रु.50,000/- जो ज्यादाहो, को अलग दिखाना चाहिये।

ए. सहायता अनुदान

संस्थान ने रु. 2783.62 लाख का सहायता अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय से योजना मद में प्राप्त किया और पिछले वर्ष का अप्रयुक्त पूँजीगत अनुदान राशि रु.630.97 लाख था। इसमें से रु.887.04 लाख गैर आवर्ती अनुदान (पूँजीगत अनुदान) एवं रु.1896.58 लाख आवर्ती अनुदान था। संस्थान का आंतरिक संसाधनों से आय रु. 1535.01 लाख था।

संस्थान ने रु.4949.60 लाख में से रु.2029.43 लाख (गैर आवर्ती अनुदान रु.499.87 लाख एवं आवर्ती अनुदान रु.1529.56 लाख) उपयोग किया और 31.03.2013 को संस्थान के पास रु.2920.17 लाख की राशि शेष थी।

प्रबंधन पत्र

जो त्रुटियाँ इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गयी हैं, उनकी जानकारी संस्थान को प्रबंधन पत्र के द्वारा दे दी गयी है, जो अलग से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए निर्गत की गयी है।

(अ) पूर्ववर्ती पैरा में दिए गये अवलोकनों के मद्देनजर हमारे प्रतिवेदन के अनुसार तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा, जिसका निपटारा इस प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है, लेखा बही के अनुरूप है।

(अप) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराए गये जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा विधि की नीतियों, लेखा पर टिप्पणियों तथा उपर वर्णित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा इस लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन की अनुलग्नक में उल्लिखित बातों के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा विधि के सिद्धान्तों की अनुरूपता में सच्ची एवं निष्पक्ष मत उपलब्ध कराते हैं।

क) यह भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची 31 मार्च 2013 से संबंधित तुलन पत्र की परिस्थिति से संबंधित है और

ख) यह उक्त तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष में आय एवं व्यय खाता के अधिशेष से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान: पटना

दिनांक: 05.08.14

के. जी. २१२६

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा(केन्द्रीय), लखनऊ

लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन की अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

संस्थान का आंतरिक लेखा परीक्षा सी. ए. फर्म द्वारा की गई है।

2. आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

- रोकड़ बही/बैंक बही एवं खाता बही को सत्यापित करने के लिये उचित निरीक्षण एवं हस्ताक्षर की कमी,
- रोकड़ बही का दैनिक आधार पर नहीं लिखना,
- मंत्रालय की ओर से वार्षिक बजट का अनुमोदन, नहीं होना ।
- बजट नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव, नहीं होना ।
- बिल पारित किए जाने के लिए उचित प्राधिकरण की कमी चूँकि अधिकृत अधिकारी के भुगतान मोहर को बिल में शामिल नहीं किया जाना ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जर्नल वाउचर का प्रमाणीकरण, नहीं होना,
- अतिरिक्त कोष के निवेश के लिये निवेश नीति का गठन नहीं किया जाना ।

3. अचल संपत्ति और वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

जी. एफ. आर. के नियम 192 के अनुसार वर्ष में एक बार अचल संपत्ति और वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन करना और उस सत्यापन के परिणाम के अनुरूप बही में दर्ज करना अनिवार्य है। किसी भी अंतर के पाए जाने पर उसे तुरत जांच कर लेखा में लाया जाना चाहिए।

संस्थान ने अचल संपत्ति और उपभोज्य एवं गैर उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन आरम्भ से ही नहीं किया है।

4. वैधानिक देय के भुगतान में नियमितता

संस्थान वैधानिक देय के भुगतान में नियमित हैं।


के. जे. २१८६
०६.०८.१५
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय),
लखनऊ

भारतीय प्रबंध संस्थान राँची
31 मार्च 2013 तक तुलन पत्र (बैलेंस शीट)


(राशि - रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2013 तक	31.03.2012 तक
कॉर्पस/कैपिटल फंड एवं देनदारियां			
कैपिटल फंड (पूजी कोष)	1	190,779,271.69	114,359,966.00
कॉर्पस फंड (समग्र कोष)	2	190,771,149.61	60,606,594.00
मौजूदा देनदारी एवं प्रावधान	3	74,918,855.03	18,643,155.00
कुल		456,469,276.33	193,609,715.00
परिसंपत्तियां			
अचल संपत्तियां			
कुल संपत्ति	4	59,831,110.31	42,401,784.00
घटाएं : संचित मूल्यहास		24,098,228.31	11,813,534.00
शुद्ध कुल संपत्तियां		35,732,882.00	30,588,250.00
कैपिटल वर्क प्रगति में	4	53,232,541.00	20,674,649.00
कुल		88,965,423.00	51,262,899.00
निधि का निवेश	5	264,854,226.00	51,259,940.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	6	102,649,627.33	91,086,876.00
कुल		456,469,276.33	193,609,715.00


लेखा सूची के भाग -15 का निर्माण करनेवाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां यहां तक कि कब्जे में लेने की तिथि के बारे में हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार


निदेशक
आईआईएम राँची




फाइनेंस एंड अकाउंट्स
आईआईएम राँची




पी एस पॉल
(पार्टनर)


भारतीय प्रबंध संस्थान राँची


31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा


(राशि - रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2013 तक	31.03.2012 तक
आय			
लंबी अवधि के कार्यक्रम से प्राप्त शुल्क एवं अन्य आय	7	108,385,529.00	42,772,485.00
सरकारी अनुदान	8	152,797,816.53	28,884,838.00
ब्याज आय	9	11,416,301.86	2,381,872.00
गैर-अनुदान तथा अन्य पावतियां	10	33,699,161.09	8,371,643.00
कुल (ए)		306,298,808.53	82,410,838.00
व्यय			
स्थापना व्यय	11	25,381,901.00	13,002,646.00
शैक्षिक व्यय	12	51,322,766.50	23,412,767.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	13	52,915,455.00	29,550,208.00
मूल्यहास	4	12,284,694.71	8,902,822.00
गैर-अनुदान व्यय	14	23,336,436.61	6,157,851.00
कुल (बी)		165,241,253.82	81,026,294.00
व्यय पर आय से अधिक (ए-बी)		141,057,554.71	1,384,544.00
कैपिटल फंड से हस्तांतरण		12,284,694.71	8,902,822.00
शेष		153,342,249.42	10,287,366.00
कॉर्पस फंड के लिए हस्तांतरण		130,164,555.39	47,368,149.00
एमएचआरडी को लौटाने योग्य शुद्ध अधिशेष		23,177,694.03	
एमएचआरडी से दावा किया गया घाटा/समायोजन			37,080,783.00

लेखा सूची के भाग -15 का निर्माण करनेवाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां यहां तक कि कब्जे में लेने की तिथि के बारे में हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार


निदेशक


फाइनेंस एंड अकाउंट्स


पी एस पॉल
(पार्टनर)

आईआईएम राँची



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची
31 मार्च 2013 तक तुलन पत्र के अनुसूची के निर्माण का एक भाग
अनुसूची - 1, पूंजी अनुदान (कैपिटल ग्रांट)

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
ओपनिंग कैपिटल फंड	83,173,500.00	23,657,500.00
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	88,704,000.00	59,516,000.00
कुल	171,877,500.00	83,173,500.00
घटाएं : संचित मूल्यहास	24,098,228.31	11,813,534.00
वर्ष के अंत में शेष	147,779,271.69	71,359,966.00
स्थायी कैपस के लिए कोष	43,000,000.00	43,000,000.00
	190,779,271.69	114,359,966.00

अनुसूची-2 कॉर्पस फंड

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
ओपनिंग कॉर्पस फंड	60,606,594.22	13,238,445.00
जोड़े : आय और व्यय खाता से हस्तांतरण	130,164,555.39	47,368,149.00
कुल	190,771,149.61	60,606,594.00

अनुसूची-3 वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
वर्तमान देनदारियां		
1. वैधानिक देय राशि		
(अ). टीडीएस	1,755,736.00	771,076.00
2. अन्य वर्तमान दायित्व		
(अ). व्यय तथा अन्य के लिए भुगतान योग्य बिल	26,420,242.00	5,417,611.00
(ब). जमा, ईएमडी आदि।	75,000.00	25,000.00
(स). सावधानी जमा राशि	2,889,814.00	885,000.00
(द). मेस जमा	2,162,248.00	884,495.00
(ड). अन्य वर्तमान दायित्व	18,438,121.00	10,659,973.00
3. आय और व्यय खाते से हस्तांतरित राजस्व अनुदान, जो एमएचआरडी को लौटाई गईं	23,177,694.03	
कुल	74,918,855.03	18,643,155.00



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची
अनुसूची-4 स्थायी परिसंपत्तियां तथा मूल्यहास

विवरण	दर	कुल संपत्तियां			संपत्तियों का मूल्यहास			शुद्ध कुल परिसंपत्तियां			
		वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के लिए		वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के अंत में कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में
1. भूमि											
2. भवन- आईआईएमआर का हिस्सा नहीं	10%	17,493,206.00			17,493,206.00	1,793,215.00	1,569,999.00	3,363,214.00	14,129,992.00	15,699,991.00	
3. कम्प्यूटर एवं बाह्य उपकरण	60%	11,783,406.82	11,042,497.00		22,825,903.82	7,641,585.82	7,880,051.00	15,521,636.82	7,304,267.00	4,141,821.00	
4. लाइब्रेरी पुस्तकें	60%	716,680.00	968,754.00		1,685,434.00	402,929.00	725,603.00	1,128,532.00	556,902.00	313,751.00	
5. संयंत्र और मशीनरी	15%	7,954,018.71	4,822,327.00		12,776,345.71	1,276,093.00	1,653,307.71	2,929,400.71	9,846,945.00	6,677,926.00	
6. फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%	3,774,094.00	584,490.00		4,358,584.00	597,679.00	368,468.00	966,147.00	3,392,437.00	3,176,415.00	
7. विविध परिसंपत्तियां	10%	5,090.00	11,259.00		16,349.00	739.00	1,167.00	1,906.00	14,443.00	4,351.00	
8. ग्राहान	15%	675,287.78			675,287.78	101,292.78	86,099.00	187,391.78	487,896.00	573,995.00	
कुल (अ)		42,401,783.31	17,429,327.00		59,831,110.31	11,813,533.60	12,284,694.71	24,098,228.31	35,732,882.00	30,588,250.00	
9. कैपिटल वर्क प्रगति में (ब)		20,674,649.00	32,557,892.00		53,232,541.00				53,232,541.00	20,674,649.00	
चालू वर्ष के कुल (अब)		63,076,432.31	49,987,219.00		113,063,651.31	11,813,533.60	12,284,694.71	24,098,228.31	88,965,423.00	51,262,899.00	
पिछले वर्ष के आंकड़े		13,942,165.00	49,153,433.00	19,165.00	63,076,433.00	2,910,712.00	8,902,822.00	11,813,534.00	51,262,899.00	-	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

भारतीय प्रबंध संस्थान राँची
31 मार्च 2013 तक बैलेंस शीट के अनुसूची के निर्माण का एक भाग
अनुसूची - 5 फंड का निवेश

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
अनुसूचित बैंक के साथ सावधि जमा	264,854,226.00	51,259,940.00
कुल	264,854,226.00	51,259,940.00

अनुसूची - 6 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
अ. वर्तमान परिसंपत्तियां		
हाथ में नकदी	16,996.00	72,681.00
बैंक बैलेंस (शेष)	29,567,429.83	1,226,590.00
विविध देनदार	13,992,773.00	5,500,770.00
कुल (अ)	43,577,198.83	6,800,041.00
ब. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
ऋण एवं अग्रिम		
अ. कर्मचारी	95,352.00	19,165.00
ब. अन्य (बताएं)	881,370.00	1,316,999.00
पूर्वदात व्यय		
अ. बीमा	180,732.00	18,221.00
ब. एएमसी सहित अन्य व्यय	6,338,996.50	2,100,196.00
ग. सुरक्षा जमा	518,189.00	495,789.00
द. अन्य	869,684.00	255,682.00
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
अ. एमएचआरडी से प्राप्य-पूँजी		
ब. एमएचआरडी से प्राप्य-राजस्व	50,156,000.00	43,000,000.00
टीडीएस प्राप्य	32,105.00	37,080,783.00
कुल (ब)	59,072,428.50	84,286,835.00
कुल (अब)	102,649,627.33	91,086,876.00

अनुसूची - 7 शुल्क एवं लंबी अवधि के कार्यक्रम से प्राप्त अन्य आय

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
फीस / सदस्यता		
शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क	106,487,515.00	42,600,000.00
स्वीकृति शुल्क जब्त	53,000.00	53,000.00
अन्य पावतियां	1,845,014.05	119,485.00
कुल	108,385,529.05	42,772,485.00

अनुसूची - 8 अनुदान सहायता / सब्सिडी

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
सरकारी अनुदान - एमएचआरडी		
(अ). राजस्व अनुदान- वर्ष के दौरान प्राप्त	189,658,000.00	39,700,000.00
घटाएं : समायोजित घाटा	37,080,783.47	10,815,162.00
शेष	152,577,216.53	28,884,838.00
जोड़े : वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सीएजी रिपोर्ट के अनुसार	220,600.00	-
समायोजित आय आय एवं व्यय खाता में हस्तांतरण	152,797,816.53	28,884,838.00



MK

भारतीय प्रबंध संस्थान राँची
31 मार्च 2013 तक आय और व्यय खाता के अनुसूची के निर्माण का एक भाग
अनुसूची - 9 ब्याज आय

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
अधिसूचित बैंक के साथ बचत खाता पर सावधि जमा पर ब्याज	1,104,566.00	533,645.00
कुल	11,416,301.86	2,381,872.00

अनुसूची - 10 गैर-अनुदान पावती

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
फीस तथा अन्य आय		
अ. पीजीईएक्सपी शुल्क	28,855,365.00	7,723,700.00
ब. एमडीपी पावती	4,126,133.00	592,013.00
स. विविध पावतियां	717,663.09	55,930.00
कुल	33,699,161.09	8,371,643.00

अधिसूची - 11 स्थापना व्यय

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
स्थापना व्यय		
वेतन एवं भत्ता	25,381,901.00	13,002,646.00
कुल	25,381,901.00	13,002,646.00

अधिसूची - 12 शैक्षणिक व्यय

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
शैक्षणिक व्यय		
अतिथि संकाय-मानदेय	12,618,412.00	8,902,685.00
अतिथि संकाय-बोर्डिंग और यात्रा खर्च	3,120,687.00	2,311,035.00
पाठ्यक्रम सामग्री व्यय	3,243,869.00	976,153.00
पत्रिकाएं एवं डेटाबेस व्यय	6,413,422.00	1,826,082.00
सॉफ्टवेयर नवीकरण व्यय	2,191,159.00	138,381.00
छात्र गतिविधियां	631,260.00	705,346.00
आउट बाउंड कार्यक्रम व्यय	1,127,497.00	454,781.00
एफपीएम व्यय	1,495,000.00	-
दीक्षांत व्यय	1,884,099.00	-
छात्र कल्याण व्यय	388,458.00	185,711.00
संकाय नियुक्ति एवं विकास व्यय	3,424,698.00	1,358,366.00
दाखिला व्यय	5,553,068.00	3,222,620.00
प्लेसमेंट व्यय	4,070,633.00	2,863,376.00
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन व्यय	2,597,743.00	468,231.00
व्यवसाय विश्लेषिकी/एचआर सम्मेलन	2,562,761.00	
कुल	51,322,766.50	23,412,767.00



Handwritten signature

भारतीय प्रबंध संस्थान राँची
31 मार्च 2013 तक आय और व्यय खाता के अनुसूची के निर्माण का एक भाग
अनुसूची - 13 प्रशासनिक व्यय

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
अन्य प्रशासनिक व्यय		
मान्यता	177,155.00	-
विज्ञापन	689,665.00	2,980,493.00
उद्घाटन व्यय	546,590.00	460,631.00
उपकरणों के लिए किराया	2,534,588.00	1,873,520.00
टेलीफोन एवं मोबाइल शुल्क	253,146.00	83,569.00
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	218,409.00	148,926.00
इंटरनेट शुल्क	2,288,752.00	2,424,965.00
आईटी सपोर्ट	2,830,068.00	-
हाउस कीपिंग व्यय	2,713,014.00	1,704,135.00
अखबार एवं पत्रिकाएं	43,879.00	31,160.00
मैनपावर नियोजन	4,921,602.00	2,646,703.00
बोर्ड मीटिंग	521,729.00	1,133,546.00
एडवाइजरी कमिटी मीटिंग	505,596.00	210,713.00
लेखापरीक्षक और सलाहकार	245,776.00	612,585.00
इलेक्ट्रिसिटी और पावर	3,097,503.00	1,058,916.00
किराया-संकाय आवास	1,246,075.00	665,250.00
किराया-हॉस्टल-खेलगांव	6,700,000.00	-
किराया-जनरेटर	7,849,650.00	5,124,374.00
रिपेयर एवं मेंटेनेंस	2,514,839.00	930,243.00
यात्रा एवं वाहन व्यय	5,867,281.00	4,311,636.00
सेमिनार तथा कांफ्रेंस	293,693.00	81,234.00
बीमा	27,338.00	45,923.00
मुद्रण एवं स्टेशनरी	1,157,315.00	1,282,321.00
बोर्डिंग तथा लॉजिंग व्यय	582,871.00	348,262.00
गेस्ट हाउस व्यय	1,267,924.00	756,396.00
पूर्व अवाधि व्यय	3,118,731.00	266,197.00
कर्मचारी कल्याण व्यय	430,571.00	-
महत्वपूर्ण दिवस समारोह	106,371.00	238,005.00
विविध	109,169.00	-
	55,955.00	130,505.00
कुल	52,915,455.00	29,550,208.00

भारतीय प्रबंध संस्थान राँची
अनुसूची - 14 गैर-अनुदान व्यय

विवरण	31.03.2013 तक (राशि - रुपये में)	31.03.2012 तक (राशि - रुपये में)
गैर-अनुदान व्यय		
पीजीपीएक्सपी	11,608,428.00	3,007,844.00
एमडीपी एवं कंसल्टेंसी	2,997,826.00	671,818.00
पेशेवर शुल्क	-	90,000.00
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	85,670.00
सेमिनार एवं कार्यशाला	-	355,100.00
स्थापना व्यय	1,592,262.00	1,513,065.00
मेस शुल्क	6,818,380.00	-
विविध व्यय	319,540.61.00	434,354.00
कुल	23,336,436.61	6,157,851.00



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची
अनुसूची - 15

संलग्न खातों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियाँ तथा 31 मार्च 2013 तक तुलना पत्र के एक भाग का निर्माण करने के सन्दर्भ में -

अ. लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां:

1. लेखांकन की प्रणाली : सभी आय और व्यय क्रमशः देय और प्राप्य माना जाता है, और जब तक इसे विशेष रूप से अन्यथा होने के लिए नहीं कहा गया है, तब तक उसे मर्केटाइल आधार पर दर्ज किया जाता है। वे वस्तुएं जो मुख्य नहीं हैं उन्हें नकद आधार पर दर्ज किया गया है।
2. स्थायी सम्पत्ति : अचल संपत्ति को आज तक लागत-सह-ह्रास कहा गया है। लागत में वे सभी आनुशांगिक व्यय शामिल हैं जो अचल सम्पत्ति को अपने वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च होता है। इसके अलावा, कैपिटल वर्क में प्रगति, जिसे पिछले साल तक अचल संपत्ति में शामिल किया गया था, को इस साल से अलग से दिखाया गया है।
3. मूल्यह्रास : मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम के दर के आलोक में नीचे लिखे मूल्य विधि के अनुसार की गई है। इस साल से मूल्यह्रास का शुल्क आय और व्यय खाते से लिया गया है और संबंधित राशि पूंजी अनुदान से कम कर दी गई है।
4. अनुदान : पूंजी और राजस्व अनुदान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश के अनुसार उनके संबंधित खण्डों में विभाजित किया गया है।
5. इस साल से गैर अनुदान व्यय जिसे सामान्य अनुदान व्यय में शामिल किया गया था, को अलग मद के रूप में दिखाया गया है।

ब. लेखा पर टिप्पणी :

1. पूंजी अनुदान का उल्लेख अभी तक इस कैप्शन खंड के तहत प्राप्त आगे के अनुदान में संचित मूल्यह्रास कटौती के बाद किया गया है। नीति में यह बदलाव इस साल से किया गया है।
2. 13,01,64,555.39 रुपये की राशि कॉर्पस फंड में हस्तांतरित की गई है। पूंजी और राजस्व में बटवारा आंतरिक रिकॉर्ड के लिए है। हालांकि, कॉर्पस और कैपिटल फंड भारत की समेकित निधि का हिस्सा है।
3. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार, पूर्ण रूप से रियायती संपत्ति पर मूल्यह्रास को आय और व्यय खाता से काटा गया है और पूंजी अनुदान के समानुपातिक राशि दर्ज की गई है और इसे आय एवं व्यय खाता में चिह्नित किया गया है।
4. पिछले वर्ष केबल कनेक्टिविटी, रूटर्स आदि के लिए 2,20,600 रुपये की राशि राजस्व से काट ली गयी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय की आपत्ति पर इस वर्ष उसे पूंजीकृत कर दिया गया और तदनुसार पिछले साल के लिए दावा की गई घाटे की राशि को चालू वर्ष में घटा दिया गया, जिससे चालू वर्ष के लिए अधिशेष बढ़ गया है।
5. आवश्यकतानुसार पिछले साल के आंकड़े को पुनः समूहित और पुनः प्रसारित किया गया है और निकटतक रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

निदेशक
आईआईएम राँची
स्थान : राँची



फाइनैस एंड अकाउंटेंट्स
आईआईएम राँची



पी एस पॉल
पार्टनर